

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल शाजापुर (म.प्र.)

पता : टेलीफोन टॉवर के पास ए.बी. रोड़ शाजापुर (म.प्र.) पिन 465001

ई-मेल : dfotsjpur@mp.gov.in,

शाजापुर, दिनांक 02.4.25

क्रमांक/तक./2025/1455
प्रति,

स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस
प्राइवेट लिमिटेड

विषय- Proposal for seeking prior approval of the Central Government under section 2 (1) (ii) of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 for diversion of 1397.54 ha forest land out of which 1335.35 ha Reserved forest land (RF) in various forest compartments and 62.19 ha Revenue forest in various Khasra's of Forest Range Waidhan/ Sarai East for Open Cast Dhirauli Coal Mine Project in favour of M/s Stratatech Mineral Resources Private Limited under Singrauli Forest Division, Singrauli District of Madhya Pradesh State (Online No. FP/MP/MIN/142344/2021) - regarding.

संदर्भ- 1.भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र दिनांक 24.09.2024
2.मुख्य वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन का पत्र क्रमांक/तकनीकी/2025/1545 दिनांक 28.03.2025

—00—

विषयांतर्गत लेख हैं कि वनमण्डल सिंगरौली के परिक्षेत्र बैद्वन/पूर्व सरई के विभिन्न आरक्षित वनखण्डों की 1335.35 हे. एवं राजस्व वनभूमि 62.19 हे. कुल रकबा 1397.54 हे. वनभूमि में धिरौली कोल ब्लॉक अंतर्गत उपयोग भूमि के व्यपवर्तन का स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड का ऑनलाईन प्रस्ताव - FP/MP/MIN/142344/2021 में प्रभावित वनभूमि के एवज में क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिए शाजापुर वनमण्डल में आबंटित कुल 597.52 हे. गैर वनभूमि में से कलेक्टर जिला आगर-मालवा द्वारा ग्राम बीजानगरी, कण्डारी, मारुबर्दिया, चिपिया, पाड़ल, हटीपुरा, दुर्गपुरा, नारेला, झलारा बड़ौद, खेड़ा चौहान, धंधेड़ा कानड़ एवं घानीखेड़ी की कुल रकबा 378.21 हेक्टेयर भूमि की तैयार की गई 11 वर्षीय क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजनाओं में मुख्य वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन द्वारा जारी तकनीकी स्वीकृति क्रमांक/तकनीकी/2025/1013 दिनांक 25.02.2025 से रुपये 290036577/- का मांगपत्र प्रेषित किया गया है।

प्रकरण में ग्राम खजूरी चौपड़ा, रायपुरिया, गंगापुर, सनावदा एवं शिवगढ़ की शेष गैर वनभूमि रकबा 219.31 हेक्टेयर भूमि की तैयार की गई 11 वर्षीय क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजनाओं में मुख्य वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन द्वारा आदेश क्र./तकनीकी/2025/17 दिनांक 28.03.2025 से निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति जारी की गई है :-

क्र.	आदेश क्र. दिनांक	ग्राम का नाम	सर्वे नम्बर	कुल रकबा हे.में	आबंटित रकबा हे.में	योजना अनुसार रोपित पौधा संख्या	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित राशि
1.	92/अ-20(3)/2023-24 दिनांक 10.02.2025	ग्राम खजूरी चौपड़ा तहसील बड़ौद	568	46.080	33.470	33470	21081772/-
योग :-				46.080	33.470		
2.	88/अ-20(3)/2023-24 दिनांक 17.03.2025	ग्राम रायपुरिया तहसील आगर	105 128 137 130 78	11.820 22.270 1.250 6.500 49.280	9.720 17.120 0.800 5.300 28.080	61020	41416164/-
योग :-				91.120	61.020		
3.	160/अ-20(3)/2024-25 दिनांक 17.03.2025	ग्राम गंगापुर तहसील बड़ौद	1 133/1 133/2 149 153 282/1 283 289 287 288 291 292	17.450 15.070 2.000 3.500 6.750 2.120 4.100 4.100 3.170 1.750 5.430 10.250	13.680 8.940 1.300 3.500 6.750 2.120 4.100 4.100 2.240 1.750 3.080 4.690	56250	48163864/-
योग :-				77.690	56.250		

Contd....2.

4.	98/अ-20(3)/2023-24 दिनांक 16.11.2024	ग्राम सनावदा तहसील आगर	1132	6.800	5.100	31600	24637917/-
			394	0.320	0.130		
			384	3.910	3.190		
			1131	2.320	2.250		
			383	5.500	4.350		
			499/1	16.880	16.580		
			योग :-	35.73	31.60		
योग :-			401	1.990	1.300	1300	2548108
योग :-			1.990	1.300			
5.	125/अ-20(3)/2023-24 दिनांक 30.12.2024	ग्राम शिवगढ तहसील आगर	652	14.350	7.840	35670	28351227/-
			653	5.650	0.650		
			644	8.960	6.270		
			648	4.600	4.600		
			467	4.440	4.440		
			654	1.750	1.750		
			647	12.620	10.120		
योग :-			52.370	35.670			
महायोग				219.31	219310		166199052/-

उपरोक्त स्वीकृत वैकल्पिक वृक्षारोपण योजनाओं की लागत राशि कुल रूपये 166199052/- (सोलह करोड़ इकसठ लाख निन्यानवे हजार बावन रू. मात्र) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के ई-पोर्टल के माध्यम से कैम्पा फण्ड में राशि जमा की जावे तथा प्रोसेसिंग शुल्क रूपये 16619905/- (एक करोड़ छियासठ लाख उन्नीस हजार नौ सौ पांच रू० मात्र) राज्य की राजस्व मद "0406 वानिकी और वन्य जीवन (01) वानिकी, (800) अन्य प्राप्तियां, (0229) विविध प्राप्तियां मद में एम.पी. ऑनलाईन ट्रेजरी अथवा डी.डी. के माध्यम से जमा की जाकर चालान अथवा डी.डी. इस कार्यालय में प्रस्तुत करें तथा गैर वनभूमि का आधिपत्य विधिवत रूप से विभाग को हस्तांतरित किया जाना सुनिश्चित करें।

(हेमलता शाह)

वनमण्डलाधिकारी

वनमण्डल शाजापुर

शाजापुर, दिनांक

02.4.25

पृ.क्रमांक/तक/2025/ 1456

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक पदेन वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. उपवनमंडलाधिकारी, वनमंडल शाजापुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. वन परिक्षेत्र अधिकारी आगर की ओर भेजकर लेख है कि प्रकरण में आबंटित गैर वनभूमि निर्देशानुसार सीमांकन उपरांत प्राप्त कर मय KML के एवं भा.व.अ. 1927 की धारा 29 के अधिसूचना प्रस्ताव तैयार करने हेतु चेकलिस्ट अनुसार अभिलेख संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के हस्ताक्षर, नाम एवं पदनाम सहित प्राप्त कर इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें

वनमण्डलाधिकारी

वनमण्डल शाजापुर